

झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची
एफ.एफ.पी.भवन, धुर्वा, राँची।

ज्ञापांक: परि0आ0(C.S.)-587/2018-150/ राँची/दिनांक:- 15.02.2021


प्रेषित,

श्री कुमार सौरभ,
पिता- श्री रवि शंकर सिंह,
निवासी- चन्द्रलोक भवन, न्यू एरिया,
बिसारटैंक, सिविल लाईन, गया।

विषय : वाहन संख्या- BR02AA-1151 के झारखण्ड मार्ग कर का अन्तर राशि जमा करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा आपके वाहन संख्या- BR02AA-1151 के पक्ष में निर्गत परमिट संख्या- 153/2018 के प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न उक्त वाहन के दुरुस्ती प्रमाण-पत्र में उक्त वाहन का श्रेणी सेमी डीलक्स (बैटान क्षमता- 62 सीट्स) अंकित है। अप अवगत है कि झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण संशोधन अधिनियम, 2018 के आलोक में उक्त श्रेणी के बसों का झारखण्ड मार्ग कर रू 49200/- प्रति वर्ष के दर से निर्धारित है, जबकि आपके द्वारा झारखण्ड मार्ग कर साधारण बस के लिए निर्धारित रू 39000/- वार्षिक कर के दर से राशि जमा का प्रमाण उपलब्ध कराया गया है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त परमिट से आवृत वाहन संख्या- BR02AA-1151 के लिए जमा की गई मार्ग कर की राशि अन्तर्गत अन्तर राशि जमा का प्रमाण शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय ताकि संदर्भित परमिट का प्रतिहस्ताक्षर किया जा सके।


संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।